न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अलीगढ।

निर्णय

अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर रेलवे अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुये उसे अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर वह नियमानुसार अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

दण्डादेश खुले न्यायालय में अभियुक्त को पढकर सुनाया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे)
अलीगढ।